रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 344] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 4, 1973/आश्विन 12, 1895
No. 344] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 1973/ASVINA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 4th October, 1973

S. O. 540(E)/15/IDRA/73.—Whereas the industrial undertakings known as Messrs Hind Cycles Limited, Bombay, (Ghaziabad unit) is engaged in the Scheduled Industry, namely, bicycles industry;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industry and to public interest:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of :—

1. Shri B. G. Roy,—*Chairman*
   General Manager,
   Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta.
2. Shri N. J. Hatkar,—*Member*
   Chief Finance Officer,
   Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of Uttar Pradesh Limited, Lucknow.
3. Shri B. S. V. Rao, —*Member*
   Development Officer,
   Directorate General of Technical Development,
   New Delhi.

The above body shall submit its report to the Central Government with in a period of three weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. 2(16)/73-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1973

का० आ० 540(अ०)/15/आई० डी० आर० ए०/73—यतः मैसर्स हिन्द साइकल्स् लिमिटेड, मुब(गाजियाबाद एकक) नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूयित उद्योगों अर्थात् बाइसिकलस् उद्योग में लगा है ;

और अतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध इस रूप में चलाया जा रहा है जो अनुसूचित उद्योगों और लोक हित के लिए अत्यन्त हानिकर है ;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस मामले की परिस्थितियों में पूरी तरह से अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ एक निकाय नियुक्त कर ती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे : —

1 श्री बी० जी० राय, महाप्रबन्धक, इंडस्ट्रियल रीकंस्ट्रकशन कारपोरेशन आफ इंडिया, लिमिटेड, कलकत्ता । — अध्यक्ष

2 श्री एन० जे० हटकर ,चीफ फाइनेंस आफिसर प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वैस्टमैन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड लखनऊ

3. श्री बी० एस० वी राव, विकास अधिकारी, महानिदेशालय, तकनीकी विकास, नई दिल्ली । — सदस्य

उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[सं० 2(16)/73—सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973